जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

बिहार सरकार

तृतीय तल, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष: +91–612–250 4980, फैक्स: +91–612–250 4960, वेबसाइट: www.brlps.in

पत्रांक: **BRLPS/Proj-LS/463/13/Vol.-III/**2013 **दिनांक:** 17.10.2024

प्रेषक,

हिमांशु शर्मा, भा०प्र०से०
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-राज्य मिशन निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला परियोजना प्रबंधक
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका)।

विषय : **पशुधन प्रभाग के अन्तर्गत निष्क्रिय पशु-सखी को सक्रिय बनाने हेतु तैयार किये गये दिशा-निर्देश के प्रेषण के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि पशुधन प्रभाग अन्तर्गत वर्तमान में लगभग 6000 पशु सखियाँ कैडर के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान में पशु-सखियों का आवश्यक प्रशिक्षण दिए जाने के उपरांत कतिपय पशु-सखियों द्वारा क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी का निर्वहन नहीं किया जा रहा है। वैसी निष्क्रिय पशु-सखियों को सक्रिय किये जाने के संबंध में एक मार्गनिर्देशिका राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा तैयार की गयी है।

अतः अनुरोध है कि तैयार मार्गनिर्देशिका के आलोक में अधीनस्थ प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक को आवश्यक कारवाई करने के संबंध में निर्देश देंगे साथ हीं अपने स्तर से प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक के साथ मासिक बैठक कर अनुश्रवण करना भी सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक: निष्क्रिय पशु सखी हेतु दिशा-निर्देश।

विश्वासभाजन,

17/X/24

(हिमांशु शर्मा)

प्रतिलिपि:

1. Director/OSD/AO/CFO/PC/PS
2. SPM/DPM/PM-Livestock
3. All DPMs/BPMs
4. All Livestock Managers/YPs/In-Charge
5. IT Section
6. Concerned file.

निष्क्रिय पशु सखी हेतु दिशा-निर्देश

जीविका मे बकरी पालन पहल के तहत पशु सखी एक कैडर के रूप मे कार्यरत है, जो महिला बकरी पालकों को प्रोत्साहित कर उनके बकरियों के स्वास्थ्य एवं रोगों के रोकथाम से संबंधित सेवाएँ प्रदान करती हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में पशु सखियों की सक्रिय भागीदारी गरीब परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाती है। किसी भी स्तर पर पशु सखियों में निष्क्रियता आ जाने से महिला बकरी पालकों को परियोजना द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम से अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती है इसलिए, पशु सखियों की निष्क्रियता को दूर करने से संबंधित एहतियाती कदम उठाना बहुत जरूरी है। निष्क्रिय पशु सखियों को सक्रिय बनाने के लिए तैयार किए गए दिशानिर्देश एक ठोस कदम होगा।

निम्नलिखित उपायों के आधार पर निष्क्रिय पशु सखियों की पहचान कर उन्हें सक्रिय करने या बदलने के लिए उपचारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे।

पशु सखी द्वारा लाभार्थियों (बकरी पालकों) को बकरी स्वास्थ्य प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने में उनकी सक्रियता और नियमितता का मूल्यांकन साल में दो बार विशेष अभियान के रूप में बकरी पालन परियोजना वाले जिलों एवं प्रखंडों में किया जाना चाहिए। विशेष रूप से, निष्क्रिय पशु सखियों की पहचान और उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया हर वर्ष अप्रैल और सितंबर माह में पूर्ण की जानी चाहिए।

पशु सखी जो लगातार पिछले तीन महीनों से सक्रिय नहीं है एवं महिला बकरी पालकों की सेवा नही दे पा रही है, उसे निष्क्रिय पशु सखी मानते हुए निष्क्रिय पशु सखी की सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

पशु सखी की निष्क्रियता की संभावित परिस्थितियाँ:

1. पशु सखी लगातार 3 महीनों तक मासिक समीक्षात्मक बैठकों में अनियमित या अनुपस्थित है, और तय गतिविधियों की रिपोर्टिंग में भी अनियमित है, तो उसे निष्क्रिय माना जा सकता है।
2. पशु सखी ने वर्ष में चलने वाले विशेष अभियानों जैसे कृमि नाशक दवाइयों को पिलाने और टीकाकरण अभियानों में भाग नहीं लिया है, तो उसे निष्क्रिय माना जाएगा।
3. ग्राम संगठन सदस्यों द्वारा पशु सखी के सेवा प्रदान करने (प्राथमिक उपचार, बधियाकरण, टीकाकरण, आदि) में उसकी अनियमितता एवं किए गए कार्यों के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त हुई है, तो उसे निष्क्रिय सूची में सूचीबद्ध किया जा सकता है।

पशु सखी की सक्रियता का मूल्यांकन करने के लिए उठाए जाने वाले कदम:

1. निष्क्रिय पशु सखियों की एक अस्थायी सूची हर वर्ष अप्रैल और सितंबर मे (बैठक उपस्थिति रजिस्टर, टीकाकरण/कृमि नाशक अभियान रजिस्टर) नोडल स्टाफ, ग्राम संगठन के सदस्यों एवं संबंधित CC के टिप्पणियों, के आधार पर तैयार की जाएगी।
2. उपरोक्त परिस्थितियों में, पशु सखी की निष्क्रियता का मूल्यांकन LHS/Livestock नोडल द्वारा (यदि उपलब्ध हो तो मास्टर पशु सखी के साथ) कार्य क्षेत्र पर वास्तविक रूप से किया जाएगा।

- क्षेत्र में LHS/Livestock नोडल पशु सखी के कार्य प्रदर्शन और समुदाय की सेवा में उसकी नियमितता को समझने का प्रयास करेगा, इसके लिए संलग्न मूल्यांकन प्रपत्र का उपयोग किया जाएगा।
- LHS/Livestock नोडल, ग्राम संगठन के प्रतिनिधि एवं महिला बकरी पालकों से पशु सखी के कार्य के बारे में संवाद करेगा और उनके प्रतिउत्तर को कलमबद्ध करेगा ।
- LHS/Livestock नोडल द्वारा निष्क्रिय पशु सखी की सूची और निष्क्रियता पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें उसकी निष्क्रियता के कारणों को स्पष्ट किया जाएगा और BPIU मे समर्पित करेगा । BPIU इसे DPCU में पदस्थापित Livestock मैनेजर/YP को भेजेगा। इसे नोडल VO/PG मिनट्स रजिस्टर में भी दर्ज की जाएगी और रिपोर्ट की एक प्रति SPMU को भेजी जाएगी ।

(निष्क्रिय पशु सखी मूल्यांकन और क्रियावली योजना प्रपत्र के लिए अनुबंध देखें)

काउंसलिंग:

1. यह पाया जाता है कि पशु सखी सक्रिय नहीं है, तो LHS/Livestock नोडल और CC (मास्टर पशु सखी के साथ) द्वारा पशु सखी का काउंसलिंग (परामर्श) किया जाएगा और संबंधित पशु सखी को प्रेरित कर और सक्रिय करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी ।
2. सभी प्रक्रियाओं को VO/PG रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा, साथ ही इसे DPCU भेजे जाने वाले अंतिम रिपोर्ट में भी दर्ज किया जाएगा।
3. यदि पशु सखी अपनी कार्य को फिर से शुरू करने के लिए इच्छुक है, तो उसके लिए अगले 3 महीनों का एक कार्य योजना तैयार की जाएगी (निष्क्रिय पशु सखी मूल्यांकन और क्रियावली योजना प्रपत्र में अंकित करें)
4.) ।
5. निष्क्रिय पशु सखी के साथ एक सक्रिय पशु सखी (या मास्टर पशु सखी) को भी जोड़ा जा सकता है, ताकि उसे आवश्यक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन/सहायता प्रदान की जा सके।

त्याग और प्रतिस्थापन:

1. संबंधित कर्मी को यह पता चलता है कि पशु सखी काम करने के लिए इच्छुक नहीं है या किसी कारणवश (जैसे स्वास्थ्य, परिवार आदि) अपनी सेवाएँ जारी रखने में असमर्थ है, तो उसके नाम को हटाने के लिए सिफारिश BPIU के माध्यम से की जानी चाहिए।
2. पशु सखी के कुछ गंभीर मामलों में जैसे स्वैच्छिक इस्तीफा, पलायन, दीर्घकालिक बीमारी, मृत्यु आदि की स्थिति में परित्याग के रूप में माना जाना चाहिए।
3. ऐसे परिस्थितियों में, पशु सखी का किट और मोबाइल फोन तुरंत वापस लेते हुए सम्बंधित PG/VO में सौंपा जाए ।
4. पशु सखी के हटाए जाने वाले के मामलों में, संबंधित VO/PG को BPIU और CLF के सहयोग से नई पशु सखी की चयन प्रक्रिया 30 दिनों के अंदर पुरी की जानी चाहिए।
5. जो पशु सखी अपनी सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, उसकी प्रदर्शन की समीक्षा 3 महीने बाद की जानी चाहिए।
   - उसकी प्रदर्शन समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, उसे नियमित करना या हटाना या पुनः चयन किया जा सकता है।
   - वह परियोजना के द्वारा निर्धारित कार्यों को करने मे विफल रहती है तो, BPIU ऊपर वर्णित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पशु सखी को हटाने की प्रक्रिया करेगी ।

विशेष मामले: जिन्हें सावधानी से सुलझाने की आवश्यकता है:

- किसी पशु सखी की निष्क्रियता कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण है जैसे गर्भावस्था और मातृत्व काल, परिवार में चिकित्सा, आपातकाल आदि, हो तो LHS/Livestock नोडल को पशु सखी और नोडल VO/PG से परामर्श करना

चाहिए और बकरी पालकों की बकरी स्वास्थ्य प्रबंधन (GHM) आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य पशु सखी से सेवा ली जा सकती है।

- यदि संबंधित पशु सखी कठिन समय के बाद अपना काम फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, तो लाभार्थी अपेक्षित अवधि के दौरान किसी नजदीकी पशु सखी से सेवा ले सकती है।
    - यदि संबंधित पशु सखी काम फिर से शुरू करने के लिए इच्छुक नहीं है या जल्द ही ऐसा करने की स्थिति में नहीं है, तो LHS/Livestock नोडल, VO/PG के साथ परामर्श करके एक नई पशु सखी के चयन के लिए सिफारिश करेगी ।

यदि पशु सखी की निष्क्रियता निम्नलिखित कारणों से होती है:

(i) GHM प्रशिक्षण (गोट हेल्थ प्रबंधन) में अंतराल - चरण 1 और चरण 2 के प्रशिक्षण की कालावधि का लंबा होना
(ii) समय पर मानदेय का न मिलना, नियमित समीक्षा की कमी, पशु सखी के साथ फॉलो-अप की कमी
(iii) पशु सखी को किट प्रदान नहीं किया जाना

BPIU टीम को इन मामलों को तर्कसंगत तरीके से सुलझाना चाहिए और पशु सखियों की समस्याओं को 2 से 4 सप्ताह की निर्दिष्ट समयसीमा में हल करनी चाहिए।

- यदि संबंधित पशु सखी अपनी समस्याओं का समाधान होने के बाद अपना काम फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, तो BPIU टीम को पशु सखी को पुनः प्रशिक्षण, किट वितरण, पुराने बकाया का निपटारा, नियमित भुगतान की व्यवस्था वाले बिंदुओं को हल करनी चाहिए।
- यदि संबंधित पशु सखी काम फिर से शुरू करने के लिए इच्छुक नहीं है या निकट भविष्य में ऐसा करने की स्थिति में नहीं है, तो LHS/Livestock नोडल ग्राम संगठन के साथ परामर्श करके एक नई पशु सखी की नियुक्ति की सिफारिश कर सकती है।

मानदेय प्रावधान:

कार्यालय आदेश BRLPS/Project/463/13(Vol.-II) तारीख 27-02-2023 के सन्दर्भ मे पशु सखी मानदेय निम्नलिखित मामलों में लागू होगा:

A. यदि निष्क्रिय पशु सखी अपना काम फिर से शुरू करती है।	· अनुपस्थित अवधि (महीनों की संख्या) का कोई मानदेय देय नहीं होगा। · वह उस महीने से मानदेय प्राप्त करने की पात्र होगी जब वह अपना काम फिर से शुरू करती है। · यदि वह अपनी पहली चयनित वर्ष के भीतर काम फिर से शुरू करती है, तो उसे पहले वर्ष के मानदेय स्लैब के तहत शेष महीनों के लिए मानदेय प्रदान किया जाएगा। · इसी प्रकार, यदि वह अपनी दूसरी चयनित वर्ष के दौरान काम शुरू करती है, तो दूसरी वर्ष के मानदेय स्लैब लागू होगा; इसी तरह तीसरे, चौथे और पांचवे वर्ष के लिए भी यही प्रक्रिया लागू होगी।
B. छोड़ने वाली पशु सखी के स्थान पर प्रतिस्थापन।	यदि नई पशु सखी पुरानी पशु सखी के स्थान पर चयनित होती है, उसे पशु सखी के वर्षवार मानदेय स्लैब के अनुसार 60 महीनों का मानदेय प्राप्त करने का हक होगा।

दस्तावेज़ीकरण:

जो LHS/Livestock नोडल पशु सखी की सक्रियता के आधार पर क्षेत्रीय जांच करते हैं, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट तैयार करनी है और इसे DPCU और SPMU को सौंपना है तथा BPIU में संबंधित फाइल में रिपोर्ट की एक प्रति रखनी है।

सभी जिला परियोजना प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रत्येक वर्ष अप्रैल और सितंबर माह में निष्क्रिय पशु सखियों का मूल्यांकन सख्ती से सुनिश्चित करें और उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार निष्क्रिय पशु सखियों को उनके कार्यों को पुनः शुरू करने में सहायता प्रदान करें। ब्लॉक मेंटर और जिला मेंटर भी उपरोक्त मूल्यांकन और काउंसलिंग में समर्थन और सुनिश्चितता प्रदान करेंगे।

परिशिष्ट: निष्क्रिय पशु सखी मूल्यांकन सह क्रियावली योजना प्रपत्र

17/x/24

(हिमांशु शर्मा)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-
सह-मिशन निदेशक